भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
की 381वीं बैठक कार्यवृत्त
स्थान - राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण सम्मेलन कक्ष
तिथि और समय - 24 फरवरी, 2023 अपराह्न 03.00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया;

प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

<u>एनओसी आवेदनों पर विचार</u>

<u>ऑनलाइन मामले:</u>

<u>मामला नंबर 01</u>

(ज़ाकिर हुसैन राजसब सागर, वार्ड नंबर 35, अथानी रोड, टाउन पैलेस के पीछे होटल, अल-अमीन रोड, विजयपुरा-586102, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के पश्चात् इस मामले में 247/जी , प्लॉट नं . 2, विजयपुरा , बीजापुर, कर्नाटक में 56.73 वर्गमीटर तल क्षेत्र के साथ 4.60 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल के निर्माणके लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 02

{1) श्री अशोक पुत्र श्री नीलकंठप्पा मनगुली, 2) श्रीमती मंजुला पत्नी श्री अशोक मनागुली, सी/ओ नीलकंठप्पा, वार्ड नंबर 24, कमान खान बाजार रोड, बीजापुर, कर्नाटक}

आवेदन पर विचार करने के पश्चात् इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

मामला नंबर 03

(श्री दस्तगीरसब एम संजावाद, पोस्ट सतगांव, विजयपुर 586217, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एसवाई संख्या 423/*/2+3 प्लॉट नंबर 391, महलबगयथ, विजयपुरा, बीजापुर , कर्नाटक में 9.68 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 68.00 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = 85.00 वर्गमीटर भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 04

(श्री नारायणराजू ए कुलकर्णी, वार्ड नंबर 22 जालनगर, संतोषी के पास प्लॉट नंबर 171,माता मंदिर प्रांत रोड, विवेक नगे पश्चिम विजयपुर - 586109, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में वार्ड नंबर □□, सीटीएस नंबर 191/1, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक में 9.37 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ तलक्षेत्र जीएफ = 25.00 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = 25.00 वर्गमीटर भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है । भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 05

(श्री राघवेंद्र ए कुलकर्णी, तेगिन हनुमान मंदिर, मिर्डे गली, विजयपुर 586101, कर्नाटक)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में वार्ड नंबर □□, सीटीएस नंबर 191/1, विजयपुरा , बीजापुर, कर्नाटक में 9.37 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। के फर्श क्षेत्र के साथ; जीएफ =25.20 वर्गमीटर, एफएफ=एसएफ=25.20 वर्गमीटर। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 06

(श्री विजया महंतेश पुत्र बसप्पा सज्जन, श्री परमानंद निल्या, संगमेश्वर कॉलोनी-□□, भावोसर नगर के पास, बीडीए गार्डन, दरगा रोड, विजयपुर, कर्नाटक)
आवेदन पर विचार करने के पश्चात् इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

मामला नंबर 07
(महादेवी एस देवरमणि, #13-बी, दूसरा मुख्य, दूसरा क्रॉस, केंचनहल्ली, राजराजेश्वरी नगर, बैंगलोर 560098, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के पश्चात् इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

मामला नंबर 8

(श्री सदाशिव पुत्र प्रकाश सिंध, अरकेरी, विजयपुर, तहसील/जिला-विजयपुर-586104,कर्नाटक)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वेक्षण संख्या 153/डी, प्लॉट नंबर 42, माल बगायत, विजयपुर, बीजापुर, कर्नाटक में 7.60 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ, □□=□□=70.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की

गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला नंबर 9</u>

(श्री प्रकाश एसए, प्रकाश एसए पुलिस हेड कांस्टेबल, सी/ओ नरसिम्हामूर्ति (शिक्षक), दूसरा क्रॉस, रंगनाथ नगर श्रीरंगपटना, कर्नाटक)
आवेदन पर विचार करने के पश्चात् इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

<u>मामला नंबर 10</u>

(श्रीमती हजरतमा डी. कोल्हार, मन्नूर कॉलोनी, बसवा नगर, जुमानल रोड , विजयपुर , कर्नाटक)
आवेदन पर विचार करने के पश्चात् इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

<u>मामला नंबर 11</u>

{(1) योगेंद्र पुत्र विजयकुमार धारावाडकर ,(2) पार्वती पत्नी विजयकुमार धारा धरावाडकर, वार्ड नंबर 10 अमीर टॉकीज लाइन क्षेत्र, राम मंदिर रोड विजयपुर -586101-कर्नाटक)}
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीटीएस संख्या 77-बी/1ए, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक में 10.60 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ, जीएफ=एफएफ=29.00 वर्गमीटर, एसएफ=26.22 वर्गमीटर तल क्षेत्र सहित भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला नंबर 12</u>

{(1) प्रवीण पुत्र विजयकुमार धरवाडकर, 2) पार्वती पत्नी विजयकुमार धरवाडकर, अमीर टॉकीज लाइन क्षेत्र, राम मंदिर रोड, विजयपुर -586101, कर्नाटक)}

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीटीएस संख्या 77-बी/1बी, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक जी में 10.60 मीटर की कुल ऊंचाई (मंटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ, एफ = एफएफ = 29.00 वर्गमीटर, एसएफ = 26.22 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला नंबर 13</u>

{(1) श्रीमती सरोजिनी एस ऐगाली पत्नी सिद्दन्ना बिरादर और 2) श्री विनायक एस बिरादर पोस्ट कुमतागी कागड़ विजयपुर -586127, कर्नाटक)}

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में वार्ड संख्या □□ सीटीएस 1292 /, विजयपुर, बीजापुर, कर्नाटक में 9.68 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ=एफएफ=59.10 वर्गमीटर, एसएफ=43.70 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है । भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला नंबर 14</u>

(श्री एजाज अहमद एम नाईक, जेएम रोड गाची महल क़ुबा मस्जिद विजयापुर के पास 586104-कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में □□ □□ 153 डी प्लॉट संख्या 133, विजयपुर, बीजापुर, कर्नाटक में 9.68 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ □□+2 मंजिलों के साथ जीएफ=एफएफ=59.20 वर्गमीटर, एसएफ=43.70 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 15

{1) श्रीमती महादेवी एस. चलवाडी, 2) श्री जावेदखतर जी.मुजावर, 3) श्रीमती. शादी के बाद शफियाबानु जी. मुजावर श्रीमती. शफियाबानू पत्नी रशीदमिया, सी/ओ रशिमिया नेलमंगला तालुक विश्वेश्वरपुरा नेलमंगला बैंगलोर-कर्नाटक)}

आवेदन पर विचार करने के पश्चात् इस मामले में आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला नंबर 16

(श्रीमती लभुबेन कृष्णभाई वेगड (अधिभोगी), 3/1/38, पूर्व दरवाजा बहार, श्री राम बाजार, द्वारका-361335, जिला देवभूमि द्वारका)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएस नं. 1389/पार्ट, द्वारका, देवभूमि द्वारका, गुजरात में आवासीय भवन की मरम्मत के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। आवेदक को कार्य निष्पादित करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

केस नंबर 17

(हिम्मत हरिदास ढोकाई, गोपालजी स्ट्रीट, तीन बाटी चौक, द्वारका-361335, जिला देवभूमि, द्वारका)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएस नं. 501, शीट नंबर 30, द्वारका, देवभूमि द्वारका, गुजरात में 09.80 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 23.66 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 18

(शेहजान सलीम पटेल और अन्य, इम्पीरियल डेवलपर्स (प्लाजा) के पार्टनर, रूबी सिलेक्शन के पास, गुलियारा मस्जिद के सामने, घांची रोड, ढोलका-382225, जिला-अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने पहले ही प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना भवन का निर्माण किया है और एसए, वडोदरा सर्कल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

<u>मामला नंबर 19</u>

(प्रशांतभाई मोहनभाई पटेल, श्री प्रांजल प्रशांतभाई पटेल के पीओएएच, बी/10, शक्तिधारा सोसाइटी, दिनेश चेम्बर्स के पीछे, बापूनगर, अहमदाबाद-382350)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएस नं. 1156, वार्ड वटवा, शीट नंबर 20, वटवा, अहमदाबाद, गुजरात में 18.28 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ GF + 3 + टेरेस फ्लोर के साथ जीएफ = 490.44 वर्गमीटर, एफएफ = 349.21 वर्गमीटर, एसएफ = टीएफ = 321.85 वर्गमीटर, टेरेस फ्लोर = 62.48 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया **गया।** एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए

<u>मामला नंबर 20</u>

(श्री हरिसिंहगोपालसिंह रतन (इंजीनियर), श्री चिंतन किशोर भाटिया, श्री मधु चौधरी गणपथ के पीओएएच और गणपतलाल मनमलजी जैन, एफएफ-04, जॉयल गोल्ड हाइट, टोयोटा शोरूम के पास, सतकार बंगले के सामने, नाना चिलोडा, अहमदाबाद-382340)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएस नं. 186, राजपुर-हीरपुर, एफ.पी. 96/1, एसपी नं. 22, टीपीएस नं. 04 , मणिनगर , अहमदाबाद, गुजरात में 22.80 मीटर की कुल ऊंचाई (मंटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + जीएफ + 5 मंजिलों के साथ बेसमेंट=382.43 वर्गमीटर, GF=FF=SF=TF=FF=FF=219.72 वर्गमीटर, टैरेस फ्लोर=66.74 वर्गमीटर गहराई के साथ बेसमेंट=03.40 मीटर और निर्मित क्षेत्र=382.43वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला नंबर 21</u>

(मनीष अनंतरायलालपुरा, 6, सत्यनारायण सोसाइटी, खेंगर पार्क के पीछे, भुज-कच्छ-370001)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 6/2, सीएस नं. 2085/2, वार्ड नंबर 5/2, खेंगर पार्क के पीछे, कच्छ, गुजरात पर 10.15 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 78.27 वर्गमीटर, एससी = 13.95 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया।एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए

मामला नंबर 22

(पराग अनंतराय लालपुरा, 6, सत्यनारायण सोसाइटी, खेंगर पार्क के पीछे, भुज-कच्छ)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 6/1, सीएस नं. 2085/1, वार्ड नंबर 5/2, खेंगर पार्क के पीछे, कच्छ, गुजरात पर 10.15 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ, जीएफ = एफएफ = 78.07 वर्गमीटर, एससी = 13.95 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए

मामला नंबर 23

(श्रीमती लता प्रकाश वजीरानी, होटल मंगलम, प्लॉट नंबर 88, गरबी चौक, संस्कार नगर, भुज-कच्छ, गुजरात)
प्राधिकरण ने नोट किया कि पूर्वोक्त होटल मंगलम की मौजूदा इमारत के ऊपर एक दूसरी मंजिल को जोड़ने का प्रस्ताव है। एसए, एएसआई, वडोदरा सर्किल द्वारा दिनांक 31.12.2009 के पत्र संख्या एफ.सं.62/बीएचयूजे-1/2009-□□□-2139 जो कि □□□□□ अधिनियम, 1958 में संशोधन से पहले का है, के तहत पैरापेट दीवार को छोड़कर 6.94 मीटर (तहखाने+जीएफ+एफएफ) की ऊंचाई तक होटल भवन के निर्माण की प्रारंभिक अनुमति प्रदान की गई थी। हालाँकि, अब, □□ राजकोट सर्कल ने स्थल का दौरा करने के बाद कहा है कि उक्त होटल भवन प्लॉट सीमा 75 मीटर की दूरी पर है जबकि भवन केंद्रीय संरक्षित स्मारक "राव लाखा और छत्री के मकबरे" से 95 मीटर की दूरी पर है। आवेदन पर विचार करने के बाद स्थल प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आने के कारण मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया गया।

मामला नंबर 24

(ठाकोर अंबाबेनसाकराजी, 898-1, ठाकोरवास, मंदिर के पास, गमताल, असरवा, अहमदाबाद सिटी सिविल अस्पताल, अहमदाबाद-380016)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वेक्षण संख्या 122, शीट संख्या 01, वार्ड: असरवा, असरवा, अहमदाबाद, गुजरात पर कुल 14.36 मीटर ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 57.68 वर्गमीटर, एससी = 10.19 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 25

(सलीमभाई एम चांदीवाला, मदरसा इस्लामिया वक्फ के अध्यक्ष, सूरत, 12/1517, पटनी हॉल के अलावा, शाहपुर, सूरत, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के पश्चात् आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

मामला नंबर 26

(श्री अजय प्रवीणभाई लोढ़िया और श्रीमती सुहानी अजय लोढ़िया, वंदना ज्वैलर्स, झवेरी बाजार, पोरबंदर ,गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएस नं. 6404, वार्ड- III, मानेक चौक, पोरबंदर, गुजरात में G+1 और 2री, 3री मंजिल की कुल ऊंचाई 16.00 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ GF = FF = 24.61-94 वर्गमीटर, SF = TF = 13.00-75 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मा २ क २ वर्मा
मा २ क २ वर्मा

मामला नंबर 27

(गिरीश कुमार हरिलाल राठौड़, काजी शेरी, ओल्ड शाकमार्केट के पास, तलजा, जिला भावनगर, गुजरात-364140)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सी.एस.एन. 1437, शीट नंबर 20 , तलाजा, भावनगर, गुजरात में 12.78 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+3 के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 71.72 वर्गमीटर, टीएफ = 12.03 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए

मामला नंबर 28

(कनुभाई छगनभाई चावड़ा, काजी शेरी, धनबाई चोक, तलजा-364140, जिला भावनगर, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएस नं.1378, तलाजा, भावनगर, गुजरात में 04.93 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ GF के साथ, जीएफ = 72.66 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 29

(श्रीमती उमाबेन प्रवीणभाई मसानी और श्री प्रवीणभाई बाबूभाई मसानी, पंचहट्टी चौक, खारवाड़, पोरबंदर)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएस नं. 931/पार्ट, पार्ट-ए, वार्ड-□□, शीतला चौक, पोरबंदर, गुजरात में 09.16 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 143.72 वर्गमीटर, एफएफ=175.98 वर्गमीटर, टैरेस फ्लोर=13.12 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 30

(श्रीमती रमाबेन रणछोड़भाई गोहेल, श्री विमल रणछोड़भाई गोहेल और श्री हितेश रणछोड़भाई गोहेल, नगरवाड़ा, कस्तुदबा गांधी रोड, मधु पेंटर के पास, पोरबंदर)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले को **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना पैरापेट दीवार सहित □□+3 मंजिल का भवन पहले ही बना लिया है और एसए, एएसआई, राजकोट सर्कल द्वारा 20.10.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मामला नंबर 31

(देवनदास पीतांबरदास करिया और श्री भरतकुमार पीतांबरदास करिया एसटी कैंटीन, बस स्टेशन, पोरबंदर में पहली मंजिल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएस नंबर 5920 से 5924, वार्ड- □, शीतला चौक, पोरबंदर, गुजरात में 07.31 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ □□ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 09.72 वर्गमीटर और एफएफ = 96.01 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के नवीनीकरण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को कार्य निष्पादित करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 32

(एस अनीता, प्लॉट नं. 2, पार्वती नगर, मदमबक्कम, चेन्नई-600073)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

मामला नंबर 33

(श्री वी महादेवन, नंबर 2/386, वेंकटेशपुरम, फर्स्ट मेन रोड, वैंडलोर, चेन्नई - 600048)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नं. एफ, सर्वे नंबर 593/, मदमबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु पर 09.48 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ ओवरहेड टैंक के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित भूतल क्षेत्र = 64.17 वर्गमीटर, प्रस्तावित प्रथम तल क्षेत्र (पीटी) = 54.88 वर्गमीटर , हेडरूम एरिया = 13.62

वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला नंबर 34</u>

(श्री अरुम्बक्कम कृष्णकुमार और श्रीमती ए. सौम्या कृष्ण कुमार, नंबर 4/457, स्वामीनाथन नगर, दूसरी स्ट्रीट, कोट्टिवाक्कम, चेन्नई 600041)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 4/सर्वे नंबर 597/3, मदमबक्कम, तंबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और ओवरहेड टैंक की कुल ऊंचाई 11.89 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ प्रस्तवित स्टिल्ट =□□=□□=□□= 155.30 वर्गमीटर, हेड रूम = 15.90 वर्गमीटर, लिफ्ट मशीन रूम = 3.63 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए

<u>मामला नंबर 35</u>

(श्री एच. राजेश, नंबर 156, वेलाचेरी मेन रोड, पल्लीकरनई, चेन्नई - 600100)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या 2/सर्वे संख्या 581/2, मदमबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और ओवरहेड टैंक के साथ 11.98 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ प्रस्तावित स्टिल्ट =□□=□□=□□=125.94 वर्गमीटर, हेड रूम = 13.23 वर्गमीटर, लिफ्ट मशीन कमरा = 2.62 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला नंबर 36</u>

(श्री आर. पारसराज, नंबर 3/155, पिल्लैयार कोविल स्ट्रीट, केलमबक्कम, कांचीपुरम 603103)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या 3/सर्वे संख्या 581/2, मदमबक्कम, तंबरम, चैंगलपट्टू, तमिलनाडु में स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और ओवरहेड टैंक के साथ 11.98 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ प्रस्तावित स्टिल्ट =□□=□□=□□=124.64 वर्गमीटर, हेड रूम = 13.23 वर्गमीटर, लिफ्ट मशीन कमरा = 2.62 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला नंबर 37</u>

(श्री ओमप्रकाश, नंबर 1/179, अमरावती नगर, पिल्लैयार कोविल स्ट्रीट, जलियाडियानपेट, चेन्नई - 600100)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 1/सर्वे नंबर 581/2, मदमबक्कम, तंबरम, चैंगलपट्टू, तमिलनाडु में स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ हेड रूम, लिफ्ट मशीन रूम और ओवरहेड टैंक के साथ 11.98 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ प्रस्तावित स्टिल्ट तलक्षेत्र =□□=□□=□□=142.19□ वर्गमीटर, हेड रूम = 14.02 वर्गमीटर, लिफ्ट मशीन रूम = 2.62 वर्गमीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला नंबर 38</u>

(के. धरानी, नंबर 7, बजानाई कोइल स्ट्रीट, नूथेनचेरी, मदंबक्कम, चेन्नई - 600126)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

<u>मामला नंबर 39</u>

(श्रीमती के. सांकरी , पुराना नंबर 10, नया नंबर 6, धंदीश्वरम नगर, तिरुवल्लुवर स्ट्रीट, वेलाचेरी, चेन्नई - 600042)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

मामला नंबर 40

(श्री आर एमए अलगप्पन, बिल्टटेक सर्व मंगला अपार्टमेंट, सी2, नंबर 183, ओल्ड नंबर 74, वन्नियार स्ट्रीट, केके नगर वेस्ट, चेन्नई 600078)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 28 पर, सर्वे नंबर 597, मदंबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 11.77 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ हेड रूम और ओवरहेड टैंक के साथ जी + 2 मंजिलों के साथ जीएफ तलक्षेत्र = 154.45 वर्गमीटर, एफएफ = 117.29 वर्गमीटर, एसएफ = 57.48 वर्गमीटर, हेड रूम = 17.18 वर्गमीटर के भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 41

(श्री एन. लक्ष्मणकुमार , दरवाजा नंबर 5, पहला क्रॉस, रमना नगर, चेन्नई - 600126)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना जी+1 मंजिल तक का भवन पहले ही बना लिया है ।

मामला नंबर 42

(सुमित मल, कॉलेज रोड पर, छोटे लाल बांध के पास, पीओ + पीएस बिष्णुपुर, जिला बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल, पिन - 722122)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आरएस 14061, 14116, एलआर 8263, कॉलेज पारा, छोटे लबंध के पास, बिष्णुपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल पर 10 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ 2 मंजिलों के साथ मौजूदा □□ = 157.43 वर्गमीटर, प्रस्तावित □□ = 157.43 वर्गमीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।** एनओसी सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 43

(तनुश्री पारामानिक , परत, बिष्णुपुर, बांकुरा, 722122, पश्चिम बंगाल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट/सर्वेक्षण संख्या 22333, बिष्णुपुर, बिष्णुपुर नगर पालिका, बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल में 08.65 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ 2 मंजिलों के साथ मंजिल -1 (जीएफ) = 103.10 वर्गमीटर, मंजिल -2 (एफएफ) = 103.10 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 44

(स्वरूप कुमार घोष, पुत्र फटिक चंद्र घोष, बी.एड कॉलेज रोड, बिष्णुपुर , बांकुरा , पश्चिम बंगाल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट/सर्वेक्षण संख्या 22333, बिष्णुपुर, बिष्णुपुर नगर पालिका, बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल में 0 8.65 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ 2 मंजिलों के साथ मंजिल क्षेत्र -1 (जीएफ) = 67 वर्गमीटर, मंजिल -2 (एफएफ) = 67 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के परिवर्धन /परिवर्तन के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को कार्य निष्पादित करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 45

(तुसर कांटी पान, 47/एल/बी, वेस्टर्न रेलवे स्टाफ कॉलोनी, सांताक्रुज (वेस्ट), मुंबई-400054, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट/सर्वेक्षण संख्या 7932, बिष्णुपुर, बिष्णुपुर नगर पालिका, बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल में 8.70 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ 2 मंजिलों के साथ मंजिल क्षेत्र -1 (□□) = 87.78 वर्गमीटर, मंजिल -2 (□□) = 98.45 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 46

(श्री उदित नारायण शुक्ला , सराफीपुरा स्टेशन रोड महोबा, उ.प्र.)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या 2331 और 2332, कीरत सागर, चरखारी बाय-पास रोड, मलकपुरा महोबा, उत्तर प्रदेश में 10.66 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिल के साथ □□=□□=74.14 वर्गमीटर, □□=38.14 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ **भवन के** निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 47

(श्री प्रकाश नारायण शुक्ला , सराफीपुरा स्टेशन रोड, महोबा, उ.प्र.)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या 2331, 2332, वार्ड नंबर 25, मलक पुरा, महोबा, यूपी में 10.66 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिल के साथ जीएफ=एफएफ=94.83 वर्गमीटर, एसएफ=49.70 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला नंबर 48

(एस अर्चना , 41/1404/3/1 शंकरपुरम कडपा - 516002, एपी)
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

मामला नंबर 49

(1) श्री गद्दामसेट्टी सुरेश पुत्र मोहना राव (2) श्री गादमसेट्टी वामसीकृष्णा पुत्र मोहनराव, **द्वार संख्या: 1-1-10/2 वार्ड संख्या : 2 रामकृष्णपुरम बापटला पिन: 52210 आंध्र प्रदेश)**
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 522/16, 510/5 , कोंडालाराव स्ट्रीट मार्केट स्ट्रीट, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में 07 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के

साथ जी + 1 मंजिल के साथ □□ =□□=65.12 वर्गमीटर तलक्षेत्र, बेसमेंट की गहराई=0.50 मीटर के साथ भवन का निर्माण करने के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला नंबर 50</u>

(श्री वटुकुरी ओंकार बाबू, मुथ्याला पेटा, चिराला, प्रकाशम जिला, पिन - 523157, आंध्र प्रदेश)
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

<u>मामला नंबर 51</u>

(दसारी नागा शिव सुशील कुमार पुत्र श्री नागेंद्र प्रसाद, द्वार संख्या:10-3-151, एमजी रोड, बापटला, पिन: 522101)
आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** को निर्णय लिया गया।

<u>मामला नंबर 52</u>

(गेली लक्ष्मी, द्वार संख्या 12-1-11, कोल्लापुडी वारी स्ट्रीट, बापतला नगर पालिका, गुंटूर जिला, पिन : 522101, आंध्र प्रदेश)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 466/5, कोल्लापुडी वारी स्ट्रीट, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में 8.04 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जी+1 तल के साथ □□=□□=55.86 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ, बेसमेंट की गहराई =0.90 मीटर के साथ भवन का निर्माण करने के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 53

(श्री तुफैल अहमद , ग्राम बर्दपुर नंबर 1, टोला पोखरभिटवा, पोस्ट पचनगावा, जिला सिद्धार्थ नगर-272202)
आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में ग्राम बर्दपुर नंबर 1, टोला-बिहरा टप्पा घोष, थाना नौगढ़, जिला॰ सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में गेट संख्या 885 70.46 वर्ग मीटर के हिस्से में 11.05 मीटर (पैरापेट, मुम्टी और पानी भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 36.21 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 54

(विजय कुमार, ग्राम बर्दपुर नंबर 1, टोला अलीगढ़वा, पोस्ट पचंगावा, जिला सिद्धार्थ नगर-272202)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में गाटा संख्या 1772 ग्राम, बर्डपुर नंबर 1, नौगढ़, सिद्धार्थ नगर भाग में 11.00 मीटर (पैरापेट, मुमती और पानी भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 55.06 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। ।एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 55

(श्रीमती सकीरा खातून और शफी मोहम्मद, ग्राम बर्डपुर नंबर 1, टोला-पिपरहवा, केएसडीए, परगना और तहसील-नौगढ़, जिला सिद्धार्थ नगर -272202)
आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अधिकतम 07.50 मीटर (सब मिलाकर) तक ऊंचाई सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेज** दिया जाए।

मामला सं 56

(श्रीमती कैसरजहां पत्नी अब्दुल रसीद, ग्राम बिरदपुर नंबर 1, टोला-पिपरहवा, पोस्ट पचंगवा, तहसील-नौगढ़, जिला सिद्धार्थ नगर -272202)
आवेदन के अवलोकन के बाद, इस मामले में गाटा संख्या2073, गॉव बर्डपुर नंबर 1 टोला पिपरहवा केएसडीए, थाना नौगढ़ ,जिला सिद्दर्त्थ नगर में 8.51 मीटर (पैरापेट, मुम्टी और पानी भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 148.58 वर्गमीटर, एफएफ = 99.18 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया

गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 57

(श्रीमती समसुन्निशा, ग्राम बर्डपुर नंबर 1, टोला-बिहरा, पोस्ट पचनगावा, जिला सिद्धार्थ नगर -272202)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में गाटा संख्या 884 (भाग) ग्राम, बर्दपुर नंबर 1, ठ. नौगढ़, जिला सिद्धार्थ नगर में 8.5 मीटर की ऊंचाई (पैरापेट, मुम्टी और पानी भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) के साथ जी + 1 मंज़िल के साथ जीएफ = एफएफ = 40.65 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 58

(वैभव प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड 32, धर्मपुत्र प्रीतम एस्टेट्स, डॉ. बीए रोड, दादर ईस्ट, मुंबई - 400014, **महाराष्ट्र**)
आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

ऑनलाइन मामलों पर पुनर्विचार

मामला सं 01

(मैबूब पुत्र लालसब मुजावर, रेलवे स्टेशन के पास, केबीएन सर्कल, वार्ड नंबर 15, विजयपुरा-586101, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एसवाई संख्या 154 के, प्लॉट नंबर 3, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक में 9.85 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 70.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 02

(श्री एन राममूर्ति, डोर नंबर: 10, एफ4, रॉयल एवेन्यू, थॉमस स्ट्रीट, कदापेरी, चेन्नई-600045)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर-11, सर्वे नंबर, कदापेरी, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडू में 16.08 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों सहित हेड रूम और लिफ्ट मशीन रूम के साथ, जिसमे हेयडरूम क्षेत्र =10.30 वर्गमीटेर होगा, जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 48.64 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 03

(श्रीमती जी. देवी श्री, नंबर: 13/20, रोड स्ट्रीट, मुरुगन कोइल मेन रोड, वेंकटपुरम, कुंद्राथुर, चेन्नई-600069)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में P.NO:60 S.No: 346/2B3, कुंद्राथुर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 9.09 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) सहित ओवरहेड टैंक के साथ G+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 40.98 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 04

(श्रीमती जी. देवी श्री, नंबर: 13/20, रोड स्ट्रीट, मुरुगन कोइल मेन रोड, वेंकटपुरम, कुंद्राथुर, चेन्नई-600069)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में P NO:59, S.NO:346/2B3, कुंद्राथुर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 9.09 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) सहित ओवरहेड टैंक के साथ G+1 मंजिल के भवन के निर्माण के लिए जीएफ = एफएफ = 40.98 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की **सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।** एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 05

(श्रीमती जी. देवी श्री, नंबर: 13/20, रोड स्ट्रीट, मुरुगन कोइल मेन रोड, वेंकटपुरम, कुंद्राथुर, चेन्नई-600069)

भास्कर वर्मा

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी NO:58, S.NO:346/2B3, कुंद्राथुर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 9.09 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) सहित ओवरहेड टैंक के साथ जी + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 42.75 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 06

(श्रीमती जी. देवी श्री, नंबर: 13/20, रोड स्ट्रीट, मुरुगन कोइल मेन रोड, वेंकटपुरम, कुंद्राथुर, चेन्नई-600069)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में P NO:57,S.NO:346/2B3, कुंद्राथुर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 9.09 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ ओवरहेड टैंक सहित G+I मंजिल के भवन के निर्माण के लिए जीएफ = एफएफ = 42.75 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है । भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 07

(श्रीमती जी. देवी श्री, नंबर: 13/20, रोड स्ट्रीट, मुरुगन कोइल मेन रोड, वेंकटपुरम, कुंद्राथुर, चेन्नई-600069)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी NO:56 S.NO:346/2B3, कुंद्राथुर गांव, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 9.09 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ ओवरहेड टैंक सहित जी + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 42.75 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 08

(श्री ए. राजन और श्रीमती अंबिका राजन, 2/23, फर्स्ट क्रॉस रोड, अमर नगर, मेप्ज़ के पास, तांबरम वेस्ट, चेन्नई 600045)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में 23/टीएस नंबर 46, कदापेरी, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 13.26 मीटर की कुल ऊंचाई (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 2 मंजिलों के हेडरूम और लिफ्ट मशीन रूम के साथ एफएसआई क्षेत्र: प्रस्तावित एफएफ = एसएफ = 91.71 वर्गमीटर, गैर एफएसआई क्षेत्र: प्रस्तावित स्टिल्ट फर्श क्षेत्र (पार्किंग) = 109.69 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र = 7.05 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया

गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 09

(श्रीमती वी. विजया, नंबर: 12ए, तीसरी स्ट्रीट, कामची नगर, अनाकापुथुर, सीएच-70)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर: 33 ईस्टर्न साइड, कुंद्राथुर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 10.62 मीटर की कुल ऊंचाई (मूमटी , पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम और ओवरहेड टैंक सहित जी+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 38.75 वर्गमीटर तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 10

(श्री कार्तिक और श्रीमती गिरिजा , द्वार संख्या: F3, रेती स्ट्रीट, तीसरी क्रॉस स्ट्रीट, बाबू नगर, कुंद्राथुर, Ch-69)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर: 31 वेस्टर्न साइड, कुंद्राथुर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 10.62 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम और ओवरहेड टैंक सहित जी+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 35.78 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 11

(श्री आर. गणेश पांडियन, नंबर: 13/20, रोड स्ट्रीट, मुरुगन कोइल मेन रोड, वेंकटपुरम, कुंद्राथुर, चेन्नई-600069)

आवेदन पर विचार करने बाद इस मामले में प्लॉट संख्या: 62, क्रमांक संख्या: 34, कुंद्राथुर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 9.09 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ ओवरहेड टैंक सहित जी+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 40.98 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 12

(श्रीमती एस. जमुना, प्लॉट नंबर: 16, 15वीं स्ट्रीट, लक्ष्मीपुरम एक्सटेंशन, पश्चिम तांबरम, चेन्नई - 600046)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में S.NO:427/4, एरुमैयुरवरदराजपुरम गांव , कुंद्राथुर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 9.83 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम और पानी की टंकी सहित जी + 1 मंजिल के साथ GF = FF = 103.21 वर्गमीटर का तल क्षेत्र , हेडरूम एरिया = 20.62 Sqmt, कंपाउंड वॉल = 1.52 मीटर सहित भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है । भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 13

(श्रीमती वी. विजया, नं: 12ए, तीसरी स्ट्रीट , कामची नगर, अनाकापुथुर, सीएच-70)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर: 33 वेस्टर्न साइड, कुंद्राथुर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 10.62 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम और ओवरहेड टैंक सहित जी+1 मंजिल के साथ GF=FF=45.07 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 14

(श्री. एस. मुकुंदन और श्री. एस. वीरराघवन, नंबर: 1, थिरु-वि-का नगर 3 स्ट्रीट, , कदापेरी, तांबरम, चेन्नई - 600045)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 132/1बी, कडापेरी, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 11.46 मीटर की ऊंचाई के साथ (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) स्टिल्ट + 2 मंजिलों के स्टिल्ट फ्लोर = एफएफ = एसएफ = 47.38 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ खुली जगह क्षेत्र = 53.60 वर्गमीटर भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 15

(श्री आर. गणेश पांडियन, नंबर: 13/20, रोड स्ट्रीट, मुरुगन कोइल मेन रोड, वेंकटपुरम, कुंद्राथुर, चेन्नई-600069)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर: 54 में क्रमांक: 346 /, कुंद्राथुर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 10.62 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम और ओवरहेड टैंक सहित जी+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 42.65 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला सं 16</u>

(श्री आर. गणेश पांडियन, नंबर: 13/20, रोड स्ट्रीट, मुरुगन कोइल मेन रोड, वेंकटपुरम, कुंद्राथुर, चेन्नई-600069)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर: 53 इन एस.नंबर: 346/, कुंद्राथुर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 10.62 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम और ओवरहेड टैंक सहित जी + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 42.28 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला सं 17</u>

(श्री आर. गणेश पांडियन, नंबर: 13/20, रोड स्ट्रीट, मुरुगन कोइल मेन रोड, वेंकटपुरम, कुंद्राथुर, चेन्नई-600069)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्रमांक: 346, कुंद्राथुर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में प्लॉट संख्या: 52 में 10.62 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम और ओवरहेड टैंक सहित जी+1 मंजिल के साथ; जीएफ = एफएफ = 44.42 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करनेकी सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला सं 18</u>

(श्री आर. गणेश पांडियन, नंबर: 13/20, रोड स्ट्रीट, मुरुगन कोइल मेन रोड, वेंकटपुरम, कुंद्राथुर, चेन्नई-600069)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में क्रम संख्या 34 प्लॉट संख्या 51 में , कुंद्राथुर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 10.62 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ हेडरूम और ओवरहेड टैंक सहित जी+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 46.56 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम

प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 19

(श्रीमती वी. विजया, नं: 12ए, तीसरी स्ट्रीट, कामची नगर, अनाकापुथुर, सीएच-70)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 346/2बी, कुंद्राथुर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 09.14 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ हेडरूम सहित जी+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 41.81 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 20

(हारून महमूद, खंडिया व अन्य, 7/2163, चादौल, रामपुरा, सूरत, गुजरात)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में CSNo.2012 और 2013, वार्ड नंबर 7, शीट नंबर 36, रामपुरा, सूरत, गुजरात में 19.78 मीटर (पैरापेट, ममटी और जल भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ, पार्किंग + 4 मंजिलों के साथ GF=FF=SF=TF=FF=83.14 वर्गमीटर, टेरेस फ्लोर=23.09 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 21

(हनिफाबानू अब्दुलगनी मंसूरी, मार्फत 12/610, 402, केशव चेम्बर्स, डॉक्टर हाउस के पास, लालगेट, सूरत-395003)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएस संख्या 1405/2, वार्ड नंबर 7, शीट नंबर 41, धस्तीपुरा, सूरत, गुजरात जीएफ, पार्किंग + 21.80 मीटर की ऊंचाई के साथ 5 मंजिलों (पैरापेट, ममटी और जल भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = एफएफ = एफएफ = 150.89 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 22

(भौमिक जितेशकुमार बैंकर और 3 अन्य, 1596, श्री रामजी नी शेरी, खड़िया क्रॉस रोड, खड़िया, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में CSNo.2678/A+B और 2698, शीट नंबर 67, खड़िया-03, सारंगपुर, अहमदाबाद, गुजरात में 18.00 मीटर की ऊंचाई (पैरापेट, मुमटी और जल भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) के साथ जीएफ+3 मंजिल+ सीढ़ी केबिन के साथ GF=FF=SF=TF=124.29 वर्गमीटर टेरेस फ्लोर=46.75वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला सं 23</u>

(मैसर्स ग्लोरी अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ग्लोरी अपार्टमेंट, आईसी कॉलोनी, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई - 400103 , महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीटीएस संख्या 1288 (पार्ट) आईसी कॉलोनी रोड पर ग्राम एकसर, आईसी कॉलोनी, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई-400103, महाराष्ट्र में सीटीएस संख्या 1288(भाग) पर पुनः प्रस्तावित विकास जिसमे 39.75 मीटर की ऊंचाई (पैरापेट, मुमटी और जल भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) के साथ ग्राउंड + 9 मंजिलों के साथ GF= 182.29 वर्गमीटर, पहली मंजिल = 163.59 वर्गमीटर, दूसरी से पांचवीं मंज़िल =172.10 वर्गमीटर प्रति मंजिल, 6वीं से 8वीं मंजिल=173.73 वर्गमीटर प्रति मंजिल, 9वीं मंजिल = 148.21 वर्गमीटर, और छत पर केबिन/लिफ्ट/लॉबी/लिफ्ट मशीन रूम=58.01के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला सं 24</u>

(उमेश मराठे 4, तृप्तिदा हाउसिंग सोसाइटी, होटल द्वारका के पीछे, मानेकशा नगर, कत्थे गली, द्वारका, नासिक-422212 , महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि मामले को **वापस भेज** दिया जाए और सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को संपत्ति की दूरी को फिर से सत्यापित करने के लिए कहा जाए क्योंकि इसे फॉर्म- II में 100 मीटर के रूप में वर्णित किया गया है जबकि साइट रिपोर्ट में इसका उल्लेख 108.51 मीटर के रूप में किया गया है ।

<u>मामला सं 25</u>

(योगेश सुरेश चंद्र अग्रवाल सीटीएस नंबर - 329 और 331ए, गांवथन, शिवाजी नगर, पुणे -5, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को भूमि उपयोग और कोई कानूनी विवाद न होने के संबंध में कानूनी हलफनामा/स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामला **वापस भेज दिया जाए।**

<u>पुनर्विचारित ऑफ़लाइन मामले:</u>

<u>मामला सं 01</u>

(न्यू पवनपुत्र कंस्ट्रक्शन्स (पार्टनरशिप फर्म थ्रो पार्टनर श्री राकेश चंद्रकांत अमृतकर और अन्य 3के माध्यम से) फ्लैट नंबर 10,11, पवनपुत्र प्राइड, क्रमांक 328/2 प्लॉट नंबर 8,9,11, द वेव मॉल के पास, पाथरडी फाटा जिला-नासिक-422010, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्र.सं. 240/बी, प्लॉट नंबर 32, 33 पोतदार स्कूल के पास, पाथरडी फाटा नाशिक-10, महाराष्ट्र में 7.50 मीटर (प्रत्येक भवन) की ऊंचाई (पैरापेट, ममटी और जल भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) के साथ जी + 1 मंजिल के साथ निम्नलिखित तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया।

हाउस नं.की पंक्तियाँ	प्लॉट नंबर	भूतल और प्रथम तल क्षेत्र		कुल
1	32+33/1	भूतल	65.25 वर्गमीटर	118.53 वर्गमीटर
		पहला	53.28 वर्गमीटर	
2	32+33/2	भूतल	49.25 वर्गमीटर	95.44 वर्गमीटर
		पहला	46.19 वर्गमीटर	
3	32+33/3	भूतल	49.25 वर्गमीटर	95.44 वर्गमीटर
		पहला	46.19 वर्गमीटर	
4	32+33/4	भूतल	49.25 वर्गमीटर	95.44 वर्गमीटर
		पहला	46.19 वर्गमीटर	
5	32+33/5	भूतल	49.25 वर्गमीटर	95.44 वर्गमीटर
		पहला	46.19 वर्गमीटर	
		पहला	46.19 वर्गमीटर	
6	32+33/6	भूतल	65.25वर्गमीटर	118.53 वर्गमीटर
		पहला	53.28 वर्गमीटर	

भास्कर वर्मा

एनओसी सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला सं 02</u>

(उषा ब्रेको लिमिटेड मां महाकालिका उदान खटोला, पावागढ़, मां महाकालिका उड़ान खटोला उषा ब्रेको लिमिटेड, पावागढ़, माची, टीएः हलोल, जिलाः पंचमहल)

आवेदन पर विचार करने के बाद, एएमएएसआर अधिनियम 1958 की धारा 2 (डीसी) में दी गई निर्माण की परिभाषा के अपवाद खंड के तहत जनता के लिए सुविधाओं तथा इस मामले में सार्वजनिक परिवहन सुविधा का निर्माण हेतु उषा ब्रेको लिमिटेड, मां महाकालिका उड़ान खटोला, माछी, पावागढ़, तालुकाः हलोल, जिला पंचमहल(गुजरात) को 14.50 मीटर ऊंचाई(पैरापेट, मुमटी और जल भंडारण टैंक, लिफ्ट रूम, आदि सहित) के साथ जिसके साथ निचले स्तर (+508 मिमी): 1400.4 वर्गमीटर, मध्य स्तर (+511 मिमी): 2078.82 वर्गमीटर, ऊपरी स्तर (+516 मिमी): 2853.32 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया जो नीचे दिये गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास के क्षेत्र में स्थित है।

क्र.सं	स्मारकों	दूरी
1	लकुलीश मंदिर	38.33 मीटर
2	मकई कोठार	188.50 मीटर
3	सुपार्श्वनाथ मंदिर	111.70 मीटर
4	शांतिनाथ	145.02 मीटर
5	चंद्रप्रभु मंदिर	210.87 मीटर
6	पटिया पुल	03.34 मीटर
7	लौकुश मंदिर	145.02 मीटर

सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी जिसमें एएसआई वड़ोदरा सर्कल के एसए, मैसर्स उषा ब्रेको लिमिटेड के तकनीकी विशेषज्ञ और एक प्रतिष्ठित संगठन से भू-तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति प्रस्तावित कार्यों की निगरानी करेगी और उन सभी संभावित उपायों को सुनिश्चित करेगी जो संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, विशेष रूप से, किसी भी उत्खनन/निर्माण कार्य के कारण संरचनात्मक सुरक्षा और स्थिरता का मुद्दा शामिल है।

उपर्युक्त परियोजना से संबंधित विकास कार्यों को निष्पादित करते समय जहां तक संभव हो, प्राधिकरण ने अनुपालन के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तें निर्धारित की हैं:

I. निर्माण के लिए प्रस्तावित सभी नई संरचनाएं गैर-हस्तक्षेप वाली और किसी भी भारी वास्तुकला से रहित होनी चाहिए।

II. निर्माण के लिए प्रस्तावित सभी नए ढाँचे जहाँ संभव हो अस्थायी ढाँचे हो सकते हैं।

III. निर्माण कार्य में स्थानीय रूप से उपलब्ध भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि मौजूदा परिदृश्य के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

IV संरक्षित स्मारकों पर कंपन के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए खुदाई कार्य के लिए भारी मशीनरी के उपयोग से बचना चाहिए।

V खुदाई का काम हस्त-चालित रूप से या एएसआई की देखरेख में हल्की मशीनरी की मदद से किया जाना चाहिए।

आवेदक को सक्षम प्राधिकारी, गुजरात द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का भी पालन करना होगा। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 03

(श्री शांतनु शंकर देशपांडे और अन्य, 1170/25, जंगल महाराजा मंदिर के पीछे जेएम रोड, होटल स्पैन एक्जीक्यूटिव के सामने, रेवेन्यू कॉलोनी, शिवाजी नगर, जिला-पुणे, 411005)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीटीएस संख्या 1170/25, होटल स्पैन एग्जीक्यूटिव के सामने ,रेवेन्यू कॉलोनी, शिवाजी नगर, जिला-पुणे, 411005, में कुल ऊंचाई 20.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 5 मंजिलों के निर्माण के लिए जीएफ = 98.24 वर्गमीटर और एफएफ = एसएफ = टीएफ = एफएफ = एफएफ = 240.36 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

आस्थगित ऑफ़लाइन मामला.01

(उप मुख्य अभियंता (निर्माण-द्वितीय), एनसीआर, झांसी)

प्राधिकरण ने इससे पहले 12.12.2022 को हुई 371वीं एनओसी बैठक में प्रस्ताव पर डीजी, एएसआई की राय लेने का फैसला किया था। प्राधिकरण ने निदेशक (स्मारक), एएसआई से दिनांक 17.02.2023 को प्राप्त उत्तर का अनुसरण किया, जिसमें एनसीआर की प्रस्तावित परियोजना पर एएसआई द्वारा एमओसी को प्रस्तुत स्थिति नोट संलग्न किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एएसआई द्वारा कहा गया है कि "...किसी भी कानोनी प्रावधान की अनुपस्थिती में, उपरोक्त प्रस्ताव के लिए एनओसी पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रस्तावित लाइन पांच स्मारकों (बिलमोरी मंदिर, विष्णु और लक्ष्मी नारायण मंदिर, जैन मंदिर दो मोनोलिथ स्तंभ और झम्मर .....) के करीब से गुजरती है। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि स्थिति नोट की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जा सकती है कि आवेदक को उनकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे साझा किया जाए।

अतिरिक्त एजेंडा:

ऑनलाइन मामले

मामला सं 01

(श्री संजय मोहन बकाया, प्लॉट नंबर 2 ब्लॉक नंबर सी निजामुद्दीन पूर्वी नई दिल्ली -110013)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 2 ब्लॉक नंबर सी निजामुद्दीन पूर्वी नई दिल्ली-110013 में 18.00 की कुल ऊंचाई के साथ (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक इत्यादि सहित) बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 125.34 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ गहराई = 3.20 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 02

(श्री बलविंदर सिंह, श्री अमरजीत सिंह, श्रीमती अमरजीत कौर और श्रीमती कवलजीत कौर, एफ-27, निजामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली)
आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एफ-27, निजामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई के साथ (ममटी , पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंज़िलों के साथ,जिसके साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 125.40 वर्गमीटर का तल क्षेत्र एवं गहराई =3.08 मीटर है, भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 03

(श्रीमती मुमताज बेगम, 2357, तुर्कमान गेट, दिल्ली)
आवेदन पर विचार करने के अवलोकन के वाद इस मामले में प्लॉट नंबर- 1135, पुराना नंवर- 1888 से 1891/1908, 1909, मोहल्ला क़ब्रिस्तान, तुर्कमान गेट, दिल्ली में 16.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममती, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथजीएफ + 3 मंजिलों के साथ जीएफ=एफएफ=एसएफ=टीएफ= 62.25 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय

लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 04

(श्री संदीप नागपाल और श्रीमती किमी नागपाल, उदय पार्क नई दिल्ली-110049 के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी में प्लॉट नं. 27 मस्जिद मोठ एक्सटेंशन)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 27 मस्जिद मोठ एक्सटेंशन उदय पार्क नई दिल्ली-110049 के रूप में जानी जाने वाली कॉलोनी में कुल ऊंचाई 17.91 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 134.79 वर्गमीटर, गहराई = 2.90 मीटर तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 05

(श्री प्रवीण कुमार, प्लॉट नंबर - बी - 21, साउथ एक्सटेंशन पार्ट - I, नई दिल्ली - 110049)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट संख्या - बी - 21, साउथ एक्सटेंशन पार्ट- I, नई दिल्ली - 110049 में कुल 18.00 मीटर (मुमटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ =एसएफ=टीएफ= 129.12 वर्गमीटर, गहराई= 2.78 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 06

(श्री अनिल गोयल, प्लॉट नंबर-227, ब्लॉक-डी, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 227, ब्लॉक-डी, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली - 110017 में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 132.94 वर्गमीटर, गहराई = 3.20 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 07

(श्रीमती मधु जैन, श्रीमती हरनीत बेदी मैसर्स जेपीआर बालाजी होम्स एलएलपी, इसके नामित भागीदार श्री जितेंद्र कुमार बसोया, प्लॉट नंबर 221 कैलाश हिल्स नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 221, कैलाश हिल, नई दिल्ली में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 187.33 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ, गहराई = 3.20 मीटर भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला सं 08</u>

(श्री रजत कुमार और श्रीमती निशा, उदय पार्क नई दिल्ली-110049 कॉलोनी में प्लॉट नंबर 74 मस्जिद मोठ एक्सटेंशन)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 74 मस्जिद मोठ एक्सटेंशन, उदय पार्क नई दिल्ली के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी में 17.91 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ =TF= 133.34 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ गहराई= 2.90 मीटर भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>ऑफ़लाइन मामले</u>

<u>मामला सं 01</u>

(श्रीमती उर्मिला मेहरोत्रा, एस-39, पंचशील पार्क, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एस-39, पंचशील पार्क, नई दिल्ली में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + जीएफ + 2 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ=एसएफ=440.79 वर्गमीटर तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला सं 02</u>

(श्रीमती कुसुम पचीसिया, श्रीमती शैजा दत्त, श्री सुधांशु पचीसिया और श्री सत्यव्रत पचीसिया, ए-3, गीताजली एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110017)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में A-3, गीतांजलि एन्क्लेव नई दिल्ली में 17.99 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के

साथ बेसमेंट=421.64 वर्गमीटर, स्टिल्ट=GF=FF=SF=TF= 421.85 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ बेसमेंट की गहराई = 4.80वर्गमीटर भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

****